

मतदान केन्द्र क्रमांक
दर्शाने वाली
सुभिन्नक चिन्ह की
रबर स्टैम्प लगाने के
लिए स्थान

केवल शासकीय उपयोग हेतु
निःशुल्क

क्रमांक :



मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

पंचायत निर्वाचन

पंच उपचुनाव बुकलेट

पंच के उपचुनाव के लिए मतदान केन्द्र पर उपयोग किये जाकर रिटर्निंग ऑफिसर को
जमा किये जाने वाले प्ररूप, प्रपत्र और परिशिष्ट की समेकित बुकलेट

(अप्रैल 2018 से प्रभावशील)

इस बुकलेट का उपयोग मतदान केन्द्र पर केवल पंच का उपचुनाव होने की स्थिति में किया
जाये, यदि मतदान केन्द्र पर जिला पंचायत सदस्य अथवा जनपद पंचायत सदस्य अथवा सरपंच,
किसी भी पद के लिए मतदान हो तो इस बुकलेट का उपयोग नहीं किया जायेगा.

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत	

पदों की जानकारी जिसके लिए निर्वाचन हुआ

पंच (वार्डों की कुल संख्या, जिनमें पंच के लिए मतदान हुआ)					
वार्डों के क्रमांक जिनमें पंच के लिए मतदान हुआ.					

(जो लागू न हो उसे काट दें)

मतदान केन्द्र क्रमांक एवं नाम	मतदान तिथि

पीठासीन अधिकारी
के हस्ताक्षर

पंच उपचुनाव बुकलेट

मतदान केन्द्र क्रमांक
दर्शाने वाली
सुभिन्नक चिन्ह की
रबर स्टैम्प लगाने के
लिए स्थान

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत का नाम	
पंच (वार्डों की कुल संख्या, जिनमें पंच के लिए मतदान हुआ)	
वार्डों के क्रमांक जिनमें पंच के लिए मतदान हुआ.	
(जो लागू न हो उसे काट दें)	
मतदान केन्द्र क्रमांक एवं नाम	मतदान तिथि
पीठासीन अधिकारी का नाम एवं पदनाम	
पीठासीन अधिकारी का मोबाईल नम्बर	

पीठासीन अधिकारी
के हस्ताक्षर

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	निर्देश	03
2.	प्रमाणपत्र	04
3.	मतदान से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी	05
4.	मतपेटी क्रमांक की जानकारी	06
5.	मतदान दल की जानकारी	07
6.	अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं की जानकारी	07
7.	मतदान के स्थगन अथवा मतदान में बाधा, निर्वाचन अपराध से सम्बंधित मामले, शिकायत एवं त्रुटियों से सम्बंधित घटनाओं की संक्षिप्त जानकारी	08
8.	अभ्याक्षेपित मतों की सूची	09
9.	अंधे/शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणापत्र	10, 11
10.	अंधे तथा शिथिलांग मतदाताओं की सूची	12
11.	मतपत्र लेखा की पावती	13
12.	अभ्याक्षेप के लिए जमा की गई राशि की रसीद	15
13.	आवश्यकतानुसार उपयोग के लिए खाली पेज	16, 18, 20
14.	मतदान/मतगणना के स्थगन की सूचना	17
15.	थाना प्रभारी, पुलिस को भेजी जाने वाली शिकायत	19
16.	निविदत्त मतपत्रों की सूची	21

पीठासीन अधिकारी
के हस्ताक्षर

1. निर्देश

1. पंच के उपचुनाव में पीठासीन अधिकारी एवं मतदान दल की कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए मतदान केन्द्र पर तैयार किये जाने वाले दस्तावेजों (प्ररूप, प्रपत्र एवं परिशिष्ट) को समेकित करते हुए यह बुकलेट तैयार की गई है. बुकलेट में जानकारी की पूर्ति करने के पश्चात अब उक्त प्ररूप, प्रपत्र एवं परिशिष्ट पृथक से तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी.
2. बुकलेट में पूर्व प्रचलित निम्नलिखित दस्तावेजों (प्ररूप, प्रपत्र एवं परिशिष्ट) को शामिल किया गया है.
 1. अभ्याक्षेपित मतों की सूची (प्ररूप-12)
 2. अंधे या शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणापत्र (प्ररूप-13"क")
 3. निविदत्त मतपत्रों की सूची (प्ररूप-14)
 4. अंधे तथा शिथिलांग मतदाताओं की सूची (प्ररूप-13ख)
 5. मतदान/मतगणना के स्थगन की सूचना (परिशिष्ट-8)
 6. थाना प्रभारी पुलिस को भेजे जाने वाली शिकायत (परिशिष्ट-7).
 7. मतों का लेखा की पावती (परिशिष्ट-10)
 8. पीठासीन अधिकारी द्वारा सेक्टर अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी को सौंपा जाने वाला प्रतिवेदन.
 9. पीठासीन अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट-3)
 10. चुनौती दिये गये मतपत्रों की रसीद बुक.
3. निविदत्त मतपत्र की स्थिति में यदि जानकारी निरंक है, तो निर्धारित पत्रक में निरंक जानकारी दर्ज कर, उसे बुकलेट में ही लगा रहने दें. यदि निविदत्त मतपत्रों की जानकारी "1" या अधिक है तो पत्रक को स्केल की सहायता से सावधानी पूर्वक काटें और निविदत्त मतपत्रों के लिफाफे के साथ रखकर सीलबंद कर दें. यहाँ पर बुकलेट की पृष्ठ संख्या में परिवर्तन सम्भावित है. अतः स्थिति का ध्यान रखकर प्रमाणपत्र में पृष्ठ संख्या सावधानी से दर्ज की जाये.
4. उपयोग की स्थिति में, अभ्याक्षेप के लिए जमा की गई राशि की रसीद, मतदान/मतगणना के स्थगन की सूचना, थाना प्रभारी पुलिस को भेजे जाने वाली शिकायत के लिए मूल प्रति को बुकलेट से स्केल की सहायता से सावधानी पूर्वक काट कर अलग करें. यह ध्यान रखें कि कार्बन पेपर की सहायता से कार्यालयीन प्रति तैयार कर ली जाये. यदि कार्बन पेपर उपलब्ध नहीं हो तो मूल प्रति की सहायता से हूबहू कार्यालयीन प्रति तैयार करना सुनिश्चित करें.
5. मतों के लेखा की पावती में मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करना होंगे. बुकलेट की सुरक्षा की दृष्टि से बुकलेट हस्ताक्षर करने के लिए कभी भी मतदान अभिकर्ता के हाथों में नहीं सौंपे. यह उचित होगा कि एक एक मतदान अभिकर्ता को बारी बारी से बुलाकर समक्ष में हस्ताक्षर करा लिये जायें. यदि कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित होने के बावजूद हस्ताक्षर नहीं करता है तो "हस्ताक्षर करने से इंकार" लिखकर अपने हस्ताक्षर कर दें.
6. बुकलेट के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर मतदान केन्द्र क्रमांक दर्शाने वाली सुभिन्नक चिन्ह की रबर स्टैम्प लगाना सुनिश्चित करें. इसी प्रकार प्रत्येक पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी सुनिश्चित किये जायें.

2. प्रमाणपत्र

मैं (नाम)
पीठासीन अधिकारी, मतदान केन्द्र क्रमांक यह प्रमाणित करता हूँ कि,

1. पीठासीन अधिकारी की इस बुकलेट में निम्नानुसार पृष्ठ है :-

क्रमांक-1 से लेकर क्रमांक-20* अथवा क्रमांक-21*
*जो लागू न हो उसे काट दें

2. मैंने प्रत्येक पृष्ठ पर मतदान केन्द्र दर्शाने वाली सुभिन्नक चिन्ह की रबर वाली मोहर निर्धारित स्थान पर लगा दी है।
3. मैंने प्रत्येक पृष्ठ पर आवश्यक पूर्तियाँ कर, निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
4. मैंने प्रत्येक कांट-छांट और ओवरराईटिंग को सुवाच्य अक्षरों में सुधार कर अपने हस्ताक्षर से सत्यापित कर दिया है।

*यदि निविदत्त मतपत्रों की जानकारी निरंक है तो पृष्ठ संख्या 21 होगी और यदि निविदत्त मतपत्रों की जानकारी "1" या अधिक है तो पृष्ठों की संख्या 20 होगी।

पीठासीन अधिकारी
के हस्ताक्षर

3. मतदान से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी

मतदान – स्थगन एवं बाधा :-

क्रमांक	विवरण	हाँ	नहीं
1.	क्या मतदान स्थगित हुआ.		
2.	क्या मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई.		
3.	क्या मतदान केन्द्र पर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई.		
4.	क्या मतदान केन्द्र पर मतपेटी से कराये गये मतदान की मतगणना की गई.		

मतदान प्रतिशत :-

क्रमांक	मतदाता	मतदाताओं की कुल संख्या	मत डालने वाले मतदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	पुरुष			
2.	महिला			
3.	अन्य			
	योग			

क्रमांक	विवरण	जानकारी
1.	निविदत्त मतपत्रों की संख्या.	
2.	मतदान केन्द्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या.	
3.	अभ्याक्षेपित (चैलेन्ज) प्रकरणों की कुल संख्या.	
4.	तुच्छ/गलत अभ्याक्षेप के प्रकरणों की संख्या.	
5.	जप्त की गई राशि.	
6.	अन्धेपन अथवा शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने किसी साथी की सहायता से मतदान किया.	

पीठासीन अधिकारी
के हस्ताक्षर

निर्वाचन अपराध :-

क्रमांक	विवरण	मामलों की संख्या
1.	मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर चुनाव प्रचार.	
2.	मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना.	
3.	मतदान केन्द्र पर किसी सूचना या दस्तावेज़ को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना.	
4.	मतदाताओं को रिश्वत देना.	
5.	मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना.	
6.	मतदान केन्द्र पर कब्ज़ा करना.	

नोट – निर्वाचन अपराध के मामलों के सम्बंध में विस्तृत जानकारी निर्धारित पृष्ठ पर अंकित करें.

शिकायत और त्रुटियाँ :-

क्रमांक	विवरण	संख्या
1.	अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं द्वारा की गई गम्भीर शिकायतों की संख्या.	
2.	विधि तथा व्यवस्था को भंग करने सम्बंधी प्रकरण.	
3.	मतदान केन्द्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं सम्बंधी प्रकरण.	

नोट – शिकायत और त्रुटियों के मामलों के सम्बंध में विस्तृत जानकारी निर्धारित पृष्ठ पर अंकित करें.

4. मतपेटी क्रमांक की जानकारी

क्रमांक	सामग्री	संख्या	क्रमांक
1.	बड़ी मतपेटी		
2.	छोटी मतपेटी		

पीठासीन अधिकारी
के हस्ताक्षर

5. मतदान दल की जानकारी

क्रमांक	पद	नाम	पदनाम एवं कार्यालय	मोबाईल नम्बर
1.	P-1			
2.	P-2			
3.	P-3			
4.	P-4			
5.	स्थानीय स्तर पर नियुक्त अन्य म.अ.			

6. अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं की जानकारी

क्रमांक	पंच पद वार्ड क्रमांक	अभ्यर्थियों की संख्या	मतदान के दौरान केन्द्र में उपस्थित अभ्यर्थी और उनके निर्वाचन अभिकर्ता की संख्या	मतदान के दौरान केन्द्र में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या जिनकी ओर से अभ्यर्थी या अन्य कोई अभिकर्ता उपस्थित नहीं हुआ
1.					
2.					
3.					
4.					
योग					

8. अभ्याक्षेपित मतों की सूची

मतदान केन्द्र क्रमांक
दर्शाने वाली
सुभिन्नक चिन्ह की
रबर स्टेम्प लगाने के
लिए स्थान

प्रविष्टि क्रमांक	1	2	3
मतदाता का नाम			
मतदाता सूची की प्रविष्टि की विशिष्टियाँ	ग्राम पंचायत का नाम		
	मतदाता क्रमांक		
अभ्याक्षेपित व्यक्ति के अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर			
अभ्याक्षेपित व्यक्ति का पता			
पहचानकर्ता यदि कोई हो का नाम			
अभ्याक्षेपकर्ता का नाम			
पीठासीन अधिकारी का आदेश			
निक्षेप वापस प्राप्त करने पर अभ्याक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर			

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

पीठासीन अधिकारी
के हस्ताक्षर

प्ररूप-13(क)

{नियम-62(1) देखिए}

9. अंधे/शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणापत्र

मैं,

पिता/पति

आयु पता

एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि :-

(क) मैंने आज तारीख को किसी मतदान केन्द्र पर अन्य मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है.

(ख) मैं, श्री/श्रीमती/कु. जो
ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के क्रमांक
पर दर्ज है, के निमित्त, मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये मत को गुप्त रखूंगा/रखूंगी.

स्थान	प्रतिहस्ताक्षरित	-----
तारीख	पीठासीन अधिकारी	साथी के हस्ताक्षर
	मतदान केन्द्र क्रमांक	नाम -----

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-13(क)

{नियम-62(1) देखिए}

9. अंधे/शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणापत्र

मैं,

पिता/पति

आयु पता

एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि :-

(क) मैंने आज तारीख को किसी मतदान केन्द्र पर अन्य मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है.

(ख) मैं, श्री/श्रीमती/कु. जो
ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के क्रमांक
पर दर्ज है, के निमित्त, मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये मत को गुप्त रखूंगा/रखूंगी.

स्थान	प्रतिहस्ताक्षरित	-----
तारीख	पीठासीन अधिकारी	साथी के हस्ताक्षर
	मतदान केन्द्र क्रमांक	नाम -----

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

पीठासीन अधिकारी
के हस्ताक्षर

प्ररूप-13(क)
[नियम-62(1) देखिए]

9. अंधे/शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणापत्र

मैं,
पिता/पति
आयु पता

एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- (क) मैंने आज तारीख को किसी मतदान केन्द्र पर अन्य मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है.
- (ख) मैं, श्री/श्रीमती/कु. जो
ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के क्रमांक
पर दर्ज है, के निमित्त, मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये मत को गुप्त रखूंगा/रखूंगी.

स्थान	प्रतिहस्ताक्षरित	-----
तारीख	पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र क्रमांक	साथी के हस्ताक्षर नाम -----

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-13(क)
[नियम-62(1) देखिए]

9. अंधे/शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणापत्र

मैं,
पिता/पति
आयु पता

एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- (क) मैंने आज तारीख को किसी मतदान केन्द्र पर अन्य मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है.
- (ख) मैं, श्री/श्रीमती/कु. जो
ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के क्रमांक
पर दर्ज है, के निमित्त, मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये मत को गुप्त रखूंगा/रखूंगी.

स्थान	प्रतिहस्ताक्षरित	-----
तारीख	पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र क्रमांक	साथी के हस्ताक्षर नाम -----

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

पीठासीन अधिकारी
के हस्ताक्षर

प्ररूप-13(ख)

{नियम-62(2) देखिए}

10. अंधे तथा शिथिलांग मतदाताओं की सूची

अनुक्रमांक (1)	मतदाता का पूरा नाम, पिता/पति के नाम सहित (2)	मतदाता सूची में मतदाता का अनुक्रमांक (3)	साथी का पूरा नाम, पिता/पति के नाम सहित (4)	साथी का पता (5)

पीठासीन अधिकारी
के हस्ताक्षर

11. मतपत्र लेखा की पावती

मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को, जो मतदान बन्द होने के समय मतदान केन्द्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किये हैं, मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम के अधीन यथा-अपेक्षित प्ररूप-15 के भाग-1 में रिकार्ड किये गये मतपत्र लेखा की एक एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है।

मतपत्र लेखा (प्ररूप-15 भाग-1)
में की गई प्रविष्टियों की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त की.

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	वार्ड क्रमांक	मतदान अभिकर्ता का नाम	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर	रिमार्क (यदि मतदान अभिकर्ताओं को हस्ताक्षर करने से इंकार करने के कारण प्ररूप-15, में भाग-1 की अनुप्रमाणित प्रति नहीं दी गई है, तो तदानुसार टीप दर्ज करें)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

समय

पीठासीन अधिकारी
के हस्ताक्षर

मतपत्र लेखा (प्ररूप-15 भाग-1)
में की गई प्रविष्टियों की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त की.

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	वार्ड क्रमांक	मतदान अभिकर्ता का नाम	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर	रिमार्क (यदि मतदान अभिकर्ताओं को हस्ताक्षर करने से इंकार करने के कारण प्ररूप-15, में भाग-1 की अनुप्रमाणित प्रति नहीं दी गई है, तो तदानुसार टीप दर्ज करें)
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					

समय

पीठासीन अधिकारी
के हस्ताक्षर

12. अभ्याक्षेप के लिए जमा की गई राशि की रसीद.

मूल प्रति.

कृपया कार्यालयीन प्रति तैयार करने के लिए कार्बन पेपर का उपयोग करें.

(कृपया स्कूल की सहायता से सावधानी पूर्वक काटे)



मतदान केन्द्र क्रमांक
दर्शाने वाली
सुभिन्नक चिन्ह की
रबर स्टैम्प लगाने के
लिए स्थान

अभ्याक्षेप के लिए जमा की गई
राशि की रसीद.

पीठासीन अधिकारी

मतदान केन्द्र क्रमांक

रसीद

क्रमांक

दिनांक

श्री

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता से रूपये 05.00
(पाँच रूपये) की राशि मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के
नियम-58 के उपनियम-1 के प्रावधान के अंतर्गत निक्षेप के रूप में प्राप्त
की।

पीठासीन अधिकारी
के हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र क्रमांक



12. अभ्याक्षेप के लिए जमा की गई राशि की रसीद.

कार्यालयीन प्रति.

कृपया कार्यालयीन प्रति तैयार करने के लिए कार्बन पेपर का उपयोग करें.

**अभ्याक्षेप के लिए जमा की गई
राशि की रसीद.**

पीठासीन अधिकारी

मतदान केन्द्र क्रमांक

रसीद

क्रमांक

दिनांक

श्री

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता से रूपये 05.00
(पाँच रूपये) की राशि मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के
नियम-58 के उपनियम-1 के प्रावधान के अंतर्गत निक्षेप के रूप में
प्राप्त की।

पीठासीन अधिकारी
के हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र क्रमांक

13. आवश्यकतानुसार उपयोग के
लिए खाली पेज

14. मतदान / मतगणना के स्थगन की सूचना. सूचना फलक पर प्रदर्शित करने के लिए प्रति.

कृपया कार्यालयीन प्रति तैयार करने के लिए कार्बन पेपर का उपयोग करें.

(कृपया स्कूल की सहायता से सावधानी पूर्वक काटें)



मतदान / मतगणना के स्थगन की सूचना.

सर्वसम्बंधित को सूचित किया जाता है कि,

ग्राम पंचायत के मतदान केन्द्र क्रमांक
पर आज दिनांक को आयोजित मतदान अपरिहार्य कारणों
से स्थगित किया जाता है. पुनर्मतदान की तारीख और समय बाद में
संसूचित की जायेगी.

***अथवा**

आज दिनांक को हुए मतदान में **पंच वार्ड**
क्रमांक के लिए मतपेटी में डाले गये
मतों की गणना अपरिहार्य कारणों से मतदान केन्द्र पर किया जाना सम्भव
नहीं है. मतगणना अब निम्नांकित तारीख, स्थान और समय पर की
जायेगी :-

तारीख	स्थान	समय

दिनांक

पीठासीन अधिकारी
के हस्ताक्षर

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दें.



मतदान केन्द्र क्रमांक
दर्शाने वाली
सुभिन्नक चिह्न की
रबर स्टैम्प लगाने के
लिए स्थान

मतदान/मतगणना के स्थगन की सूचना.

सर्वसम्बंधित को सूचित किया जाता है कि,

ग्राम पंचायत के मतदान केन्द्र क्रमांक
पर आज दिनांक को आयोजित मतदान अपरिहार्य कारणों
से स्थगित किया जाता है. पुनर्मतदान की तारीख और समय बाद में
संसूचित की जायेगी.

***अथवा**

आज दिनांक को हुए मतदान में **पंच वार्ड**
क्रमांक के लिए मतपेटी में डाले गये
मतों की गणना अपरिहार्य कारणों से मतदान केन्द्र पर किया जाना सम्भव
नहीं है. मतगणना अब निम्नांकित तारीख, स्थान और समय पर की
जायेगी :-

तारीख	स्थान	समय

दिनांक

पीठासीन अधिकारी
के हस्ताक्षर

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दें.

14. मतदान/मतगणना के स्थगन की सूचना.

कार्यालयीन प्रति.

कृपया कार्यालयीन प्रति तैयार करने के लिए कार्बन पेपर का उपयोग करें.

13. आवश्यकतानुसार उपयोग के
लिए खाली पेज

15. थाना प्रभारी पुलिस को भेजी जाने वाली शिकायत.

मूल प्रति.

कृपया कार्यालयीन प्रति तैयार करने के लिए कार्बन पेपर का उपयोग करें.
कृपया शिकायत की प्रति मतदान केन्द्र पर तैनात पुलिस अधिकारी को सौंप कर पावती कार्यालयीन प्रति पर प्राप्त करें.

(कृपया स्कूल की सहायता से सावधानी पूर्वक काटे)



थाना प्रभारी, पुलिस को भेजी जाने वाली शिकायत

प्रति,

थाना प्रभारी,

.....
.....

मतदान केन्द्र क्रमांक
दर्शाने वाली
सुभिन्नक चिन्ह की
रबर स्टैम्प लगाने के
लिए स्थान

विषय : पंचायत निर्वाचन के दौरान प्रतिरूपण की शिकायत।

महोदय,

मैं, एतद् द्वारा यह प्रतिवेदन करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी

.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....

निवासी

ने मेरे मतदान केन्द्र पर मतदान करने आये एक व्यक्ति की पहचान को
चुनौती दी है। सम्बंधित व्यक्ति को ग्राम पंचायत..... के

मतदान केन्द्र क्रमांक पर ड्यूटी में तैनात पुलिस कांस्टेबल/
विशेष पुलिस अधिकारी श्री

के सुपुर्द किया गया है।

सम्बंधित व्यक्ति ने अपने को (नाम)

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

होने का दावा किया है, जिसका नाम ग्राम पंचायत

की मतदाता सूची के क्रमांक पर अंकित है। उक्त व्यक्ति अपने को

मतदाता सिद्ध नहीं कर सका। मेरे मत में वह व्यक्ति एक ठग

(Imposter) है। अतः उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की

धारा-171(एफ) के अंतर्गत उचित कानूनी कार्यवाही करें।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

तारीख

नाम

स्थान

पीठासीन अधिकारी ..
(मतदान केन्द्र क्रमांक)

ग्राम पंचायत

जनपद पंचायत

जिला



15 थाना प्रभारी पुलिस को भेजी जाने वाली शिकायत.

कार्यालयीन प्रति.

कृपया कार्यालयीन प्रति तैयार करने के लिए कार्बन पेपर का उपयोग करें.
कृपया शिकायत की प्रति मतदान केन्द्र पर तैनात पुलिस अधिकारी को सौंप कर पावती कार्यालयीन प्रति पर प्राप्त करें.

थाना प्रभारी, पुलिस को भेजी जाने वाली शिकायत

प्रति,

थाना प्रभारी,

.....
.....

मतदान केन्द्र क्रमांक
दर्शाने वाली
सुभिन्नक चिन्ह की
रबर स्टैम्प लगाने के
लिए स्थान

विषय : पंचायत निर्वाचन के दौरान प्रतिरूपण की शिकायत।

महोदय,

मैं, एतद् द्वारा यह प्रतिवेदन करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी

.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....

निवासी

ने मेरे मतदान केन्द्र पर मतदान करने आये एक व्यक्ति की पहचान को
चुनौती दी है। सम्बंधित व्यक्ति को ग्राम पंचायत..... के

मतदान केन्द्र क्रमांक पर ड्यूटी में तैनात पुलिस कांस्टेबल/

विशेष पुलिस अधिकारी श्री

के सुपुर्द किया गया है।

सम्बंधित व्यक्ति ने अपने को (नाम)

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

होने का दावा किया है, जिसका नाम ग्राम पंचायत

की मतदाता सूची के क्रमांक पर अंकित है। उक्त व्यक्ति अपने को

मतदाता सिद्ध नहीं कर सका। मेरे मत में वह व्यक्ति एक ठग

(Imposter) है। अतः उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की

धारा-171(एफ) के अंतर्गत उचित कानूनी कार्यवाही करें।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

तारीख

नाम

स्थान

पीठासीन अधिकारी

(मतदान केन्द्र क्रमांक)

ग्राम पंचायत

जनपद पंचायत

जिला

13. आवश्यकतानुसार उपयोग के
लिए खाली पेज

16. निविदत्त मतपत्रों की सूची.

- निविदत्त मतपत्र की स्थिति में यदि जानकारी निरंक है, तो पत्रक क्रमांक-16 में निरंक जानकारी दर्ज कर, उसे बुकलेट में ही लगा रहने दें.
- यदि निविदत्त मतपत्रों की जानकारी "1" या अधिक है तो पत्रक को स्केल की सहायता से सावधानी पूर्वक काटें और निविदत्त मतपत्रों के लिफाफे के साथ रखकर सीलबंद कर दें.

(कृपया स्केल की सहायता से सावधानी पूर्वक काटें)



प्ररूप-14

{नियम-64(2) देखिए}

निविदत्त मतों की सूची

ग्राम पंचायत..... के वार्ड क्रमांक

क्र.	मतदाता का नाम	मतदाता सूची की प्रविष्टि की विशिष्टियाँ		मतदाता का पता	निविदत्त मतपत्र का क्रमांक	व्यक्ति को, जिसने मत डाल दिया जारी किए गए मतपत्र का क्रमांक	मत निविदत्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
		ग्राम पंचायत का नाम	मतदाता का क्रमांक				
1.							
2.							

मतदान केन्द्र क्रमांक
दर्शाने वाली सुभिन्नक
चिन्ह की रबर स्टैम्प
लगाने के लिए स्थान

पीठासीन अधिकारी
के हस्ताक्षर

नाम